राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3)

क्रमांक प. 6(23)प्र.सु/अनु–3/99 जयपुर, दिनांक : 12.1.2011

आज्ञा :–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किये गये अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों के मामलो का पुनर्विलोकन करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न सदस्यों की समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है :–

1	संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा मनोनीत अधिकारी जो महानिरीक्षक के स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
3	शासन प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक द्वारा मनोनीत उप सचिव या उनके स्तर का अधिकारी	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक समयावधि से लम्बित निलम्बन के मामलों का, जिसमें न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये हुए एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, का पुनर्विलोकन करेगी।

समिति की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत करेगी जो प्रत्येक प्रकरण के संबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेंगे।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/ मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस, राज0 जयपुर।
5. समिति से संबंधित समस्त सदस्यगण।
6. शासन उप सचिव,कार्मिक(क–3/शिका) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

नोट:–समिति से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार कार्मिक (क–3/शिका)विभाग शासन सचिवालय जयपुर से करें।